प्राक्कथन

बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) में बच्चों का अधिकार एक न्यायसंगत कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें छह - चौदह वर्ष की उम्र के बीच सभी बच्चों को अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण होना, नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था।

लेखापरीक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और इसकी कार्यान्वयन एजेंसियां के रिकॉर्ड के माध्यम से नमूना जांच, 28 राज्यों (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) और सात संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रैल 2010 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए संचालित की गई थी| इसके अलावा, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई)/ स्कूल रिपोर्ट कार्ड के आंकड़ों और राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

अधिनियम में प्रावधान के बावजूद, आरटीई के लिए कोई अलग बजट नहीं है, बल्कि इसे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) बजट में शामिल किया गया है। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह टिप्पणियाँ की गयी हैं कि केन्द्र में और साथ ही राज्यों में एसएसए के लिए बजट प्रस्ताव कार्यान्वयन एजेंसी से प्राप्त आगत पर आधारित नहीं है। मंत्रालय के पास स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या (ओओएससी) की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है क्योंकि राज्यों द्वारा घरों के नियमित सर्वेक्षण का संचालन करने में कमी है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई) के डाटा में विसंगतियां हैं, अधूरा है और उचित स्तर पर सत्यापित नहीं किया जा रहा है। निर्धारित आधारभूत ढांचा जिसका आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के तीन वर्षों (मार्च 2013) के अंतर्गत अनुपालन किया जाना था, अभी भी पूरी तरह से बनाया नहीं गया है। अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर सलाहकार परिषद (राष्ट्रीय सलाहकार परिषद) नवंबर 2014 के बाद से अस्तित्व में नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लेखापरीक्षा परिणाम निहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।